



## सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं०-80, लखनऊ-226001

### CSIR-Indian Institute of Toxicology Research

Vishvignyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Post Box No-80, Lucknow-226001



सं०:-A-13018/1/2024-ESTT-IITR

दिनांक:- 11.06.2024

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** प्रशासन का सुदृढीकरण-मूल नियम 56(जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम-1972 के नियम-48(अब सीसीएस (पेंशन) नियम- 2021 के नियम 42) के अंतर्गत मामलों की आवधिक समीक्षा के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** सीएसआईआर-का परिपत्र सं०: 5-1(727)/2020- PD, दिनांक 12.01.2023 तथा Dept के कार्यालय ज्ञापन सं०: 25013/03/2019-Estt. A-IV, दिनांक 28.08.2020

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ, ने संस्थान में प्रशासन के सुदृढीकरण हेतु कार्यरत ग्रुप-बी/प्रशासनिक कर्मचारियों के मामलों पर मूल नियम 56 (जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1)(b) (अब सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम-42) के अंतर्गत विचार-विमर्श हेतु गठित समीक्षा समिति की संस्तुति, दिनांक 07.06.2024 के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने का अनुमोदन प्रदान किया है:-

#### 35 वर्ष की आयु से पूर्व परिषद सेवा में प्रवेश एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी-(मूल नियम 56(जे))

| क्रम सं०: | नाम              | पदनाम                               | पे-मैट्रिक्स लेवल- | जन्म तिथि  | सेवा में नियुक्ति की तिथि |
|-----------|------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 01        | श्री मनोज तिवारी | सहायक अनुभाग अधिकारी(भंडर एवं क्रय) | लेवल-08            | 12.09.1971 | 26.06.1996                |
| 02        | श्री राम बिलास   | वरिष्ठ आशुलिपिक                     | लेवल-07            | 23.11.1973 | 06.09.2001                |

#### 35 वर्ष की आयु के पश्चात परिषद सेवा में प्रवेश एवं 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी-(मूल नियम 56(जे))

| क्रम सं०: | नाम                  | पदनाम                     | पे-मैट्रिक्स लेवल- | जन्म तिथि  | सेवा में नियुक्ति की तिथि |
|-----------|----------------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 01        | श्री अजय प्रसाद यादव | सहायक अनुभाग अधिकारी(सा0) | लेवल-07            | 20.09.1967 | 06.06.2003                |

अर्चना अग्रवाल  
14/6/24  
(अर्चना अग्रवाल)  
अनुभाग अधिकारी

#### प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

- संयुक्त सचिव(प्रशा0), अनुसंधान भवन, 2, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली-110001
- निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
- प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव-इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी(सतर्कता)
- संबन्धित कर्मचारीगण।
- वैयक्तिक सहायक(पर्सनल फ़ाइल)।
- कार्यालय प्रति।



## सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं०-80, लखनऊ-226001

### CSIR-Indian Institute of Toxicology Research

Vishvgyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Post Box No-80, Lucknow-226001



सं०:-A-13018/1/2024-ESTT-IITR

दिनांक:- 11.06.2024

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** प्रशासन का सुदृढीकरण-मूल नियम 56(जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम-1972 के नियम-48(अब सीसीएस (पेंशन) नियम- 2021 के नियम 42) के अंतर्गत मामलों की आवधिक समीक्षा के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** सीएसआईआर-का परिपत्र सं०: 5-1(727)/2020- PD, दिनांक 12.01.2023 तथा Dopt के कार्यालय ज्ञापन सं०: 25013/03/2019-Estt. A-IV, दिनांक 28.08.2020

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ, ने संस्थान में प्रशासन के सुदृढीकरण हेतु कार्यरत ग्रुप-सी, डी(गैर तकनीकी)/ग्रुप-1 & II (तकनीकी) कर्मचारियों के मामलों पर मूल नियम 56 (जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1)(b) (अब सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम-42) के अंतर्गत विचार-विमर्श हेतु गठित समीक्षा समिति की संस्तुति, दिनांक 07.06.2024 के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने का अनुमोदन प्रदान किया है:-

**35 वर्ष की आयु के पश्चात परिषद सेवा में प्रवेश एवं 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी-(मूल नियम 56(जे))**

| क्रम सं०: | नाम                  | पदनाम               | पे-मैट्रिक्स लेवल- | जन्म तिथि  | सेवा में नियुक्ति की तिथि |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 01        | श्री चन्द्रशेखर सिंह | वरिष्ठ तकनीशियन (1) | लेवल-06            | 30.06.1966 | 12.01.2007                |

**35 वर्ष की आयु से पूर्व परिषद सेवा में प्रवेश एवं 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा कर चुके कर्मचारी-(सीसीएस(पेंशन) नियम, 2021, नियम 48(1)(b))**

| क्रम सं०: | नाम              | पदनाम     | पे-मैट्रिक्स लेवल- | जन्म तिथि  | सेवा में नियुक्ति की तिथि |
|-----------|------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------|
| 01        | श्री राजेश कुमार | वाँश बाँय | लेवल-03            | 26.06.1971 | 01.10.1991                |
| 02        | श्री नौशाद अहमद  | लैब सहायक | लेवल-05            | 15.12.1970 | 05.02.1992                |

अर्चना अग्रवाल 11/06/24  
(अर्चना अग्रवाल)  
अनुभाग अधिकारी

**प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-**

01. संयुक्त सचिव(प्रशा०), अनुसंधान भवन, 2, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली-110001
02. निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
03. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव-इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
04. अनुभाग अधिकारी(सतर्कता)
05. संबन्धित कर्मचारीगण।
06. वैयक्तिक सहायक(पर्सनल फ़ाइल)।
07. कार्यालय प्रति।



सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं०-80, लखनऊ-226001  
**CSIR-Indian Institute of Toxicology Research**

Vishvigyan Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Post Box No-80, Lucknow-226001



सं०:-A-13018/1/2024-ESTT-IITR

दिनांक:- 11.06.2024

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय:** प्रशासन का सुदृढीकरण-मूल नियम 56(जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम-1972 के नियम-48(अब सीसीएस (पेंशन) नियम- 2021 के नियम 42) के अंतर्गत मामलों की आवधिक समीक्षा के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** सीएसआईआर-का परिपत्र सं०: 5-1(727)/2020- PD, दिनांक 12.01.2023 तथा Dopt के कार्यालय ज्ञापन सं०: 25013/03/2019-Estt. A-IV, दिनांक 28.08.2020

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ, ने संस्थान में प्रशासन के सुदृढीकरण हेतु ग्रुप-ए' पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से 13ए तक में कार्यरत ग्रुप-III/प्रशासनिक(आइसोलेटेड कैडर) कर्मचारियों के मामलों पर मूल नियम 56 (जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1)(b) (अब सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम-42) के अंतर्गत विचार-विमर्श हेतु गठित समीक्षा समिति की संस्तुति, दिनांक 28.05.2024 के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने का अनुमोदन प्रदान किया है:-

**35 वर्ष की आयु से पूर्व परिषद सेवा में प्रवेश एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी-(मूल नियम 56(जे))**

| क्रम सं०: | नाम                   | पदनाम                 | पे-मैट्रिक्स लेवल- | जन्म तिथि  | सेवा में नियुक्ति की तिथि |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 01        | श्री राकेश सिंह बिसेन | प्रधान तकनीकी अधिकारी | लेवल-13            | 01.08.1969 | 10.09.2001                |
| 02        | श्री विवेक श्रीवास्तव | सुरक्षा अधिकारी       | लेवल-11            | 03.08.1970 | 16.12.2003                |

अर्चना अग्रवाल  
4/06/24  
(अर्चना अग्रवाल)  
अनुभाग अधिकारी

**प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-**

- संयुक्त सचिव(प्रशा०), अनुसंधान भवन, 2, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली-110001
- निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
- प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव-इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
- अनुभाग अधिकारी(सतर्कता)
- संबन्धित कर्मचारीगण।
- वैयक्तिक सहायक(पर्सनल फ़ाइल)।
- कार्यालय प्रति।



## सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान

विषविज्ञान भवन, 31 महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं०-80, लखनऊ-226001

### CSIR-Indian Institute of Toxicology Research

Vishvigation Bhavan, 31 Mahatma Gandhi Marg, Post Box No-80, Lucknow-226001



सं०:-A-13018/1/2024-ESTT-IITR

दिनांक:- 11.06.2024

### कार्यालय ज्ञापन

**विषय:** प्रशासन का सुदृढीकरण-मूल नियम 56(जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम-1972 के नियम-48(अब सीसीएस (पेंशन) नियम- 2021 के नियम 42) के अंतर्गत मामलों की आवधिक समीक्षा के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:** सीएसआईआर-का परिपत्र सं०: 5-1(727)/2020- PD, दिनांक 12.01.2023 तथा Dopt के कार्यालय ज्ञापन सं०: 25013/03/2019-Estt. A-IV, दिनांक 28.08.2020

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईटीआर, लखनऊ, ने संस्थान में प्रशासन के सुदृढीकरण हेतु ग्रुप-ए' पे-मैट्रिक्स लेवल-10 से 13ए तक में कार्यरत वैज्ञानिकों के मामलों पर मूल नियम 56 (जे) एवं सीसीएस(पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(1)(b) (अब सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम-42) के अंतर्गत विचार-विमर्श हेतु गठित समीक्षा समिति की संस्तुति, दिनांक 28.05.2024 के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने का अनुमोदन प्रदान किया है:-

**35 वर्ष की आयु से पूर्व परिषद सेवा में प्रवेश एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी-(मूल नियम 56(जे))**

| क्रम सं०: | नाम            | पदनाम                   | पे-मैट्रिक्स लेवल- | जन्म तिथि  | सेवा में नियुक्ति की तिथि |
|-----------|----------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| 01        | डॉ० चेतना सिंह | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | लेवल-13ए           | 15.06.1971 | 10.02.2005                |

*अर्चना अग्रवाल*  
11/06/24  
(अर्चना अग्रवाल)  
अनुभाग अधिकारी

**प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-**

01. संयुक्त सचिव(प्रशा०), अनुसंधान भवन, 2, रफी अहमद किदवई मार्ग, नई दिल्ली-110001
02. निदेशक के प्रधान निजी सचिव।
03. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव-इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु।
04. अनुभाग अधिकारी(सतर्कता)
05. संबन्धित कर्मचारीगण।
06. वैयक्तिक सहायक(पर्सनल फ़ाइल)।
07. कार्यालय प्रति।